कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

संख्याः–496/सात–सी0एफ0–17/2020–21–भूलेख दिनांकः–16 दिसम्बर, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ के पत्र संख्या 1496/एक–9–2020 दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज करने हेतु दि0 15 दिसम्बर 2020 से 15 फरवरी 2020 तक दो माह का विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त अभियान की समय–सारणी निम्नवत् है–

क0सं0	अभियान कार्यक्रम	निर्धारित दिनांक
1	राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार– प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थनापत्र प्राप्त कर उन्हें आनलाइन भरा जाना।	15–12–2020 से 30–12–2020 तक
2	क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा परिषदादेश सं0–9616/4–34ए/2018 (वरासत) दि0 29–10–2018 में दी गयी व्यवस्था लेखपाल द्वारा आनलाइन जॉच की प्रकिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	31–12–2020 से 15–01–2021 तक
3	राजस्व निरीक्षकों द्वारा परिषदादेश सं0–9616/4–34ए/2018 (वरासत) दि0 29–10–2018 में दी गयी व्यवस्था राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रकिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना।	16–01–2021 से 31–01–2021 तक
4	राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर–6 ममें दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक करना।	16–01–2021 से 31–01–2021 तक
5	जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नही है।	01–02–2021 से 07–02–2021 तक
6	अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नही है।	08–02–2021 से 15–02–2021 तक
7	जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में परिषद की वेबसाइट पर फीड करना।	(1) 31–12–2020 (2) 17–01–2021 (3) 02–02–2021
8	जनपदों द्वारा परिषद को निर्धारित प्रारुप पर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा।	20–02–2021

शासन द्वारा निर्गत उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद की समस्त 07 तहसीलों के 2373 ग्रामों का तहसील स्तर पर ग्रामवार भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर दिनांक 15–12–2020 से राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा राजस्व ग्रामों में भ्रमण/कैम्प लगाकर प्रचार–प्रसार तथा खतौनियों को पढ़कर मृतक खातेदारों को चिन्हित कर मृतक के वारिसानों से लेखपाल द्वारा वरासत हेतु आवेदन प्राप्त कर उन्हें आनलाइन किया जा रहा है। किसी भी आवेदक द्वारा वरासत हेतु स्वयं अथवा जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से मा0 परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक "उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन" (प्रपत्र आर0सी0–9 पूर्व में पक–11) पर आनलाइन आवेदन अपलोड किया जा सकता है।

(विनय कुमार पाठक)
अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

<u>संख्या व दिनांक समांक–</u> प्रतिलिपि–

1– मा0 सांसद एवं विधायकगण जनपद सीतापुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर।
4– जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर।
5– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद सीतापुर।
6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद सीतापुर द्वारा स्थानीय निकाय लिपिक कलेक्ट्रेट सीतापुर।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सीतापुर को उक्त प्रेस विज्ञप्ति जनपद की विभागीय वेबसाइट sitapur.nic.in पर अपलोड कराये जाने हेतु।
8– जिला सूचना अधिकारी सीतापुर को 05 प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि जनपद सीतापुर के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराकर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

Scanned with CamScanner